

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241260 CG-DL-E-21122022-241260

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5702] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/ अग्रहायण 29, 1944 No. 5702] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5940(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक "इंटरनल ट्यूब शीट असेंबली" का, एल एंड टी हैवी इंजीनियरिंग, हजीरा से एचआरआरएल साइट, बाड़मेर, राजस्थान, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- 1. मेसर्स एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक "इंटरनल ट्यूब शीट असेंबली" के परिवहन के लिए, मेसर्स एल एंड टी हैवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
 - 2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएगें, जैसा कि नीचे दिया गया है:—

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	जीजे-27टीटी-8877	वोल्वो - एफएच -500
2	जीजे-27टीटी-8977	वोल्वो - एफएच -500
3	एमएच-46H-4577	वोल्वो - एफएच -520
4	एमएच-04सीयू-9977	वोल्वो - एफएच -520

8495 GI/2022 new

5	एमएच-04डीडी-9877	वोल्वो - एफएच -520
6	जीजे-27टीटी-6160	वोल्वो - एफएच -520

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:—

क्रम सं.	ट्रैलरों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार(टन में)
1.	एमएच-46एच-4877	गोल्डहोफ़र	4	72
2.	एमएच-46एच-5377	गोल्डहोफ़र	4	72
3.	एमएच-46एच-5477	(स्पिलिट एक्स्ल)	4	72

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा:—

खाली धुरी पंक्तियों का भार(टन में)	खेप का भार(टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
42टन	73 ਟਜ	115 ਟਜ	9.58 ਟਜ	लंबाई -8.70 मी चौड़ाई -8.70 मी ऊँचाई -4.296 मी	8(1+1/2) धुरी पंक्तियां (12 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

- 5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:—
 - (i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग एल एंड टी हैवी इंजीनियरिंग, हजीरा से एचआरआरएल साइट, बाड़मेर, राजस्थान तक, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-
 - एल एंड टी हज़ीरा पलसाना, गुजरात चोरयासी टोल प्लाजा नर्मदा ब्रिज न्यू टोल प्लाजा भरथन/ कर्जन टोल प्लाजा वसाड, गुजरात खेड़ा टोल प्लाजा मेहसाना अहमदाबाद टोल बूथ भिलाडी टोल प्लाजा भालगाम टोल प्लाजा वाराही टोल प्लाजा सुइगम, गुजरात सांचौर, राजस्थान गुड़ामलानी, राजस्थान पचपदरा, राजस्थान।
 - (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
 - (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
 - (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसिमशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमित प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में. टांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[सं. आरटी-11042/03/2021-एमवीएल] महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 5940(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one "Internal Tube Sheet Assembly" from L&T Heavy Engineering, Hazira to HRRL Site, Barmer, Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

- 1. M/s MFC Transport Private Limited is the transporter of M/s L&T Heavy Engineering, Hazira for transportation of one "Internal Tube Sheet Assembly" for the aforesaid movement.
- 2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:—

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	1. GJ-27TT-8877 VOLVO – FH-500	
2.	GJ-27TT-8977	VOLVO – FH-500
3.	MH-46H-4577	VOLVO – FH-520
4.	MH-04CU-9977	VOLVO – FH-520
5.	MH-04DD-9877	VOLVO – FH-520
6.	GJ-27TT-6160	VOLVO – FH-520

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:—

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	MH-46H-4877	GOLDHOFER	4	72
2.	MH-46H-5377	GOLDHOFER (split axle)	4	72
3.	MH-46H-5477	GOLDHOFER (split axle)	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:—

Unladen Weight of axles (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Overall dimension of consignment (in metre) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
42 MT	73 MT	115 MT	9.58 MT	L- 8.70m W- 8.70m H- 4.296m	8(1+1/2) axle rows (equivalent to 12 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)

- 5. The above relaxation is subject to the conditions that:
 - i. The specific route for transportation of the consignment will be from L&T Heavy Engineering, Hazira to HRRL Site, Barmer, Rajasthan by road through—
 - L & T Hazira Palsana, Gujarat Choryasi Toll Plaza Narmada Bridge New Toll Plaza Bharthan/Karjan Toll Plaza Vasad, Gujarat Kheda Toll Plaza Mehsana Ahemdabad Toll Booth Bhiladi Toll Plaza Bhalgam Toll Plaza Varahi Toll Plaza Suigam, Gujarat Sanchore, Rajasthan Gudamalani, Rajasthan Pachpadra, Rajasthan.
 - ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s MFC Transport Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover (including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Gujarat and Maharashtra.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/03/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Add. Secy.